कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।
पत्र संख्या 141 /14–1 हापुड़, दिनांक, 23/7/ 2016.

सेवा में,

वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त
मेरठ।

विषयः– जनपद हापुड में मै0 हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड वेद व्यास पुरी परतापुर मेरठ द्वारा ग्राम लाखन तहसील धौलाना एन0एच0–24 कि0मी0 35–36 मध्य बांयी पटरी खसरा स0 251 में रिटेल आउटलेट स्थापित करने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भः– प्रस्ताव संख्या FP/UP/Others /179 02 /2016 दिनांक 09.2.2016। मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक 2608/हापुड /17902/यू0पी0–55 दिनांक 06.06.2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव का मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अवलोकन किया गया प्रथमदृष्टया अवलोकनोउपरान्त प्रस्ताव कतिपय सूचनाये एंव अभिलेख पूर्ण एंव सुसंगत नही होना दर्शाया गया है। जिनका निस्तारण कर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार हैः–

1– प्रस्तावित स्थल की चिन्हित टोपोशीट पर टाइटिल शीर्षक अंकित कर दिया गया है संलग्न हैं
2– परियोजना की स्वीकृति सत्यापित प्रति संलग्न है।
3– प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 जमा करने की वचनबद्वता में भविष्य में दरो मे बढोत्तरी होने पर बढी हुई धनराशि जमा करने सम्बन्धि वचनबद्वता संलग्न है।
4– प्रस्तावित वन भूमि की एन0पी0वी0 की गणना इको क्लास तीन तथा धनत्व 0.2 के अनुसार गणना कर संलग्न है।
5– वनाधिकारी अधिनियम –2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
6– प्रस्तावित स्थल एंव क्षतिपूरक वनीकरण चयनित स्थल की सी0डी0 प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
7– प्रयोक्ता एजेंसी की ओर सें हस्ताक्षरकर्ता के पावर ऑफ एटार्नी सत्यापित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
8– ऑनलाईन पार्ट –3 प्रति वन संरक्षक स्तर से वाछिंत है।
9– ऑनलाईन पार्ट –1 के बिन्दु –ए –1 (9) की सूचना अंकित कर दी गयी हे।
10– ऑनलाईन पार्ट –1 व 2 की प्रति विषय सूची के अनुसार सुसंगत कर संलग्न है।
11– प्रस्ताव में संलग्न अनावश्यक अभिलेख अलग कर दिये गये है।

अतः प्रस्ताव में उपरोक्त अनुसार सूचनाओ को पूर्ण करते हुये प्रसताव की तीन मूल प्रति संशोधित प्रस्ताव संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(पी0एन0 सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।